

आम सूचना

राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ का आयोजन दिनांक 20-01-2018 से 09-02-2018 तक होना प्रस्तावित है। प्रदर्शनी के निम्न कार्यों को पुनः सम्पादित कराये जाने के लिये ठेकों की कार्यवाही निविदाओं द्वारा निम्न अंकित तिथि व समय पर राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़ परिसर स्थित अतिथिगृह के सभाकक्ष में ठेका समिति द्वारा की जायेगी। ठेकों के निविदा पत्र प्रदर्शनी कार्यालय से निम्नांकित तिथियों से दो दिन पूर्व से प्राप्त किये जा सकते हैं, तथा सीलबन्द निविदाएँ निम्न अंकित दिनांक को अपराह्न 13.00 बजे तक प्रदर्शनी अतिथिगृह के सभागार में जमा की जायेगी, जो सीलबन्द बक्से के अन्दर डाली जाएगी, जिनको (सील बन्द बक्सा खोलकर) निम्न अंकित दिनांक को अपराह्न 14.00 बजे से प्रदर्शनी अतिथिगृह के सभाकक्ष में ठेका समिति के समक्ष खोली जायेगी। ठेकों में धरोहर राशि हेतु बैंक ड्राफ्ट ही मान्य होगा। प्रत्येक ठेका से सम्बन्धित समस्त शर्तों की जानकारी अतिथिगृह स्थित प्रदर्शनी कार्यालय से कार्यालय समय में की जा सकती है।

क्र० सं०	नाम कार्य	ठेकों के प्रकार	निविदा पत्र खोलने की कार्यवाही की तिथि व स्थान	निविदा खोलने का समय
1.	हैण्डपम्प मरम्मत/नवीन हैण्डपम्प किराये पर	निविदा	04-12-2017 अतिथिगृह सभागार	15.35 बजे
2.	विद्युत सजावट एवं आपूर्ति	निविदा	04-12-2017 अतिथिगृह सभागार	15.45 बजे

(एस०बी० सिंह)

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/
प्रभारी अधिकारी, प्रदर्शनी, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभारी अधिकारी, राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी, अलीगढ़।

पत्रांक :- 186(27) / प्रदर्शनी-2017-18-ठेका आम सूचना

दिनांक : 29-11-2017

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ को सूचनार्थ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को सूचनार्थ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ को सूचनार्थ।
4. नगर आयुक्त, नगर निगम, अलीगढ़ को सूचनार्थ।
5. अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन/वित्त एवं राजस्व), अलीगढ़।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, अलीगढ़ को सूचनार्थ।
7. ठेका सम्पादन समिति के समस्त पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. कलक्ट्रेट नजारत व समस्त तहसील जिला अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
9. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञापित/आम सूचना को aligarh.nic.in वेबसाइट पर डालने का कष्ट करें।
10. ब्यूरो चीफ 'अमर उजाला', दैनिक आज' एवं 'दैनिक प्रावदा' को इस अनुरोध के साथ कि उक्त आम सूचना का डीएवीपी (सरकारी दर) पर अलीगढ़ संस्करण के आगामी अंक में प्रकाशन कराकर समाचार पत्र की एक प्रति प्रकाशन तिथि को ही प्रदर्शनी कार्यालय में अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा एक प्रति बिल सहित एक सप्ताह में इस कार्यालय में भुगतान हेतु भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा समय से बिल प्राप्त न होने की दशा में भुगतान की जिम्मेदारी आपकी होगी।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)/
प्रभारी अधिकारी, प्रदर्शनी, अलीगढ़।